

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED : NEW DELHI
PERSONNEL DIVISION

No. STC/CO/PERS/ESTT/04605/17

January 24, 2018

CIRCULAR NO. IR/ 03/18

Sub : Admissibility of Terminal benefits to Ex-employee on imposition of major penalty of Compulsory Retirement / Removal and Dismissal under Rule 25 of STC Employees' (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 of the Corporation.

The issue regarding admissibility of retirement benefits to the employees on whom penalty of Compulsory Retirement/ Removal/ Dismissal is imposed under Rule 25 of STC Employees' (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 of the Corporation has been examined in consultation with Legal Division. It is clarified that following benefits are admissible to the employees on whom penalty of Compulsory Retirement /Removal/Dismissal is imposed under STC Employees' (CD&A) Rules, 1975 :

	Benefits	CRS	Removal	Dismissal
a)	Gratuity	To be Forfeited (Keeping in view the provisions of Section 4 of payment of Gratuity Act, 1972) to the extent of loss proportionately.	To be Forfeited (Keeping in view the provisions of Section 4 of payment of Gratuity Act, 1972) to the extent of loss proportionately.	To be Forfeited (Keeping in view the provisions of Section 4 of payment of Gratuity Act, 1972) to the extent of loss proportionately.
b)	Employees' Defined Superannuation Contribution Scheme	Employees' contribution along with interest is payable.	Employees' contribution along with interest is payable.	Employees' contribution along with interest is payable.
c)	Leave Encashment	Payable	Payable after recovering Corporation's dues, if any.	Payable after recovering Corporation's dues, if any.

d)	Contributory Provident Fund and Family Pension Fund	Payable	Payable	Payable
----	---	---------	---------	---------

This issues with the approval of Competent Authority.



(R Ganesh)

Joint General Manager

By E-mail:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Director/ CVO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- All Branch Managers

Copy to :

- DGM(F) -(A&E), CO
- NOTICE BOARD
- Website

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

एसटीसी/मु./का./स्था./04605/2017

24 जनवरी, 2018

परिपत्र सं.औ.सं/03/18

विषय: कार्पोरेशन की एसटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के नियम 25 के तहत भूतपूर्व कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मुख्य दंड के आरोपण/हटाने और बर्खास्त करने पर आवधिक लाभों की ग्राह्यता।

उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के ग्राह्यता संबंधी मामले की, जिन्हें कार्पोरेशन की एसटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के नियम 25 के तहत दंड दिया गया है, विधि प्रभाग के परामर्श से जाँच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन्हें एसटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति/हटाने/बरखास्त करने का दंड दिया गया है, उन्हें निम्नलिखित लाभ ग्राह्य होंगे:-

	लाभ	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	हटाना	बरखास्तगी
क)	उपदान	आनुपातिक हानि की सीमा तक जब्त करना (उपदान अधिनियम, 1972 के भुगतान की धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर)	आनुपातिक हानि की सीमा तक जब्त करना (उपदान अधिनियम, 1972 के भुगतान की धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर).	आनुपातिक हानि की सीमा तक जब्त करना (उपदान अधिनियम, 1972 के भुगतान की धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर).
ख)	कर्मचारियों की परिभाषित अधिवर्षिता अंशदान योजना	कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित भुगतान-योग्य है	कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित भुगतान-योग्य है	कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित भुगतान-योग्य है

ग)	छुट्टियों का नकदीकरण	भुगतान योग्य	कार्पोरेशन के देयों, यदि कोई हो, की वसूली के बाद भुगतान-योग्य	कार्पोरेशन के देयों, यदि कोई हो, की वसूली के बाद भुगतान योग्य
घ)	अंशदायी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि	भुगतान योग्य	भुगतान योग्य	भुगतान योग्य

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आर.गणेश

(आर.गणेश)

संयुक्त महाप्रबंधक

ई-मेल:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक
- प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
- सभी शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि:

- उप महाप्रबंधक(वित्त)-(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय
- सूचना पट्ट
- वेबसाइट